कार्यालय
प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

दूरभाष : 05962-230065, फैक्स: 05962-232182 ई–मेल almoraforestdivision@rediffmail.com

पत्रांक 3116 /12–1 (2) अल्मोड़ा दिनांक 24/11/ 2018

सेवा में

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
नैनीताल।

विषय – **मुख्यमंत्री सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद नैनीताल में विकास खण्ड बेतालघाट में थापाली से रहेली तक मोटर मार्ग का निर्माण। (प्रस्ताव सं0 8687/2014)**

संदर्भ– आपकी पत्र सं0 3231/18Mg/ दिनांक 27.12.2017

महोदय

संदर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है कि मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊँ उत्तराखण्ड, नैनीताल की पत्र सं0 1343/4–36/दिनांक 26.12.2017 से समस्त वन संरक्षक को प्रेषित पत्र में अमर उजाला समाचार पत्र दिनांक 08.12.2017 में प्रकाशित समाचार "राज्य की बेनाप भूमि पर वन कानून लागू" के कटिंग की छायाप्रति इस कार्यालय में प्राप्त हुई है। जिसके अनुसार मा0 उच्च न्यायालय द्वारा अधिसूचना सं0 866/X-3-2011/8(21)/2010/ दिनांक 28.09.2011 को खारिज कर दिया गया है। मा0 हाईकोर्ट के आदेश दिनांक 26.10.2017 की छायाप्रति संलग्न की जा रही है। इसलिये 1.863 है0 सिविल भूमि, वन भूमि में पूर्व की भाँति निहित हो गई है। अतः 1.863 है0 सिविल भूमि को हस्तान्तरित होने वाली भूमि में सम्मलित करते हुए नया संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाय। जिसमें क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु क्षेत्र भी निहित हो।

संलग्न– यथोपरि

भवदीय,
(पंकज कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा।

पत्रांक 3116 / दिनांकित

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को उपरोक्त संदर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फारेस्ट कालौनी उत्तराखण्ड देहरादून।
2. जिलाधिकारी नैनीताल।
3. उप प्रभागीय वनाधिकारी रानीखेत ।

(पंकज कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा।

WPMS No. 2764 of 2011

Hon'ble Rajiv Sharma, J.

Mr. Shobhit Saharia, Advocate for the petitioner.

Mr. P.C. Bisht, Standing Counsel for the State.

Heard.

The Registry of this Court has requested the State Government to transfer the land for the construction of judicial complexes throughout the State of Uttarakhand.

The State Government took a conscious decision to transfer the land to the judiciary for the purposes of construction of judicial complexes. However, while doing so, the State Government vide notification dated 28.09.2011 has rescinded the earlier notification issued under the Indian Forest Act, 1878, under the general clause.

The State Government was required to comply with the mandatory provisions of the Forest Conservation Act, 1980, by taking mandatory permission from the Central Government instead of rescinding the earlier notification issued under the Indian Forest Act, 1878. The Forest Conservation Act, 1980 is a special act.

Accordingly, the writ petition is allowed. The notification dated 28.09.2011 is quashed and set-aside. The State Government is directed to take the mandatory permission/ clearance from the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, within three months from the date of production of a certified copy of this order and thereafter, to complete all the codal formalities.

Pending application, if any, stands disposed of accordingly.

(Rajiv Sharma, J.)
26.10.2017

NISHANT

3
29/12

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक कुमाऊँ, उत्तराखण्ड, नैनीताल

(फेयरीहाल वन परिसर, तल्लीताल, नैनीताल)

मोबाईल न0– 9412085207 टेलीफैक्स– 05942–236218, ई–मेल ccfkum-forest-uk@nic.in

पत्रांक 1346 / 4-36 दिनांक, नैनीताल, 26 दिसम्बर, 2017।

सेवा में,

समस्त वन संरक्षक,
कुमाऊँ मण्डल।

वन संरक्षक उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड अल्मोड़ा
4456
4-36
दिनांक 29/12/2017

DEC 2017

विषयः– राज्य की बेनाप भूमि पर वन कानून लागू।

संदर्भः– प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांक आर–ख–1521 / 21–36 दिनांक 08–12–2017।

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्राप्त अमर उजाला समाचार पत्र दिनांक 08–12–2017 में प्रकाशित समाचार ''राज्य की बेनाप भूमि पर वन कानून लागू'' के कटिंग की छाया प्रति संलग्न कर आपको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्न–यथोक्त

6691
4-36
30-12-017

भवदीय,

(डा0 कपिल जोशी)
मुख्य वन संरक्षक (कुमाऊँ)
उत्तराखण्ड नैनीताल।

पत्रांक R. 4456 /4-36 दिनांक 29/12/2017

प्रतिलिपि – समस्त प्रभागीय वनाधिकारी उत्तरी कुमाऊँ वृत्त अल्मोड़ा को इस आशय से प्रेषित कि "राज्य की बेनाप भूमि पर वन कानून लागू" के कटिंग की छाया प्रति संलग्न कर दिये गये निर्देशानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

संलग्न – यथोपरि

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड,
अल्मोड़ा

अमर उजाला - दि. 08-12-2017

राज्य की बेनाप भूमि पर वन कानून लागू

अमर उजाला ब्यूरो

देहरादून।

राज्य की सभी बेनाप भूमि, जिसकी पैमाइश नहीं हुई हो और बंदोबस्त के समय छोड़ दी गई हो, उस पर वन कानून लागू हो गया है। हाईकोर्ट ने 2011 के तत्कालीन खंडूड़ी सरकार के उस आदेश को खारिज कर दिया है, जिसमें 1893 के नोटिफिकेशन को खत्म कर दिया गया था। इसके तहत सभी बेनाप भूमि को इंडियन फॉरेस्ट एक्ट-1878 के अधीन लाया गया था।

अब पूर्व की तरह ग्राम सभा तक की बेनाप भूमि के लिए वन भूमि हस्तांतरण की तरह ही प्रक्रिया पूरी करनी होगी, जब केंद्रीय पर्यावरण,

हाईकोर्ट ने खंडूड़ी सरकार का आदेश किया रद्द

विकास योजनाओं पर पड़ सकता है असर

वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अनुमति देगा, तभी इस जमीन पर कोई विकास कार्य शुरू हो पाएगा। इससे कई विकास कार्यों पर असर पड़ सकता है।

ब्रिटिश दौर में 1893-नोटिफिकेशन जारी हुआ था। इसमें राज्य में जो भी बेनाप भूमि थी, उसको इंडियन फॉरेस्ट एक्ट-1878 के तहत लाते हुए संरक्षित वन भूमि घोषित कर दिया गया था।

>> शेष पेज 29 पर

पहले पेज का शेष

राज्य की बेनाप भूमि पर वन कानून...

ऐसे में ग्राम सभा तक की बेनाप भूमि के लिए वन भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया को पूरा करना होता था। 2011 में तत्कालीन खंडूड़ी सरकार ने इसमें लंबी प्रक्रिया और विकास कार्य प्रभावित होने और 1893-नोटिफिकेशन को 118 साल बाद व्यवहारिक न मानते हुए रद्द कर दिया था। 28 सितंबर 2011 को खंडूड़ी सरकार ने इसका नोटिफिकेशन जारी किया था। उस समय ब्रिटिश कालीन आदेश को रद्द करने पर खूब वाहवाही हुई थी। इस मामले का हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। न्यायमूर्ति राजीव शर्मा ने आदेश जारी कर खंडूड़ी सरकार के 1893-नोटिफिकेशन को समाप्त करने के आदेश को रद्द कर दिया। आदेश में कहा गया है कि नैनीताल में ज्यूडिशियल कॉम्पलेक्स एक बेनाप भूमि पर बनाया गया है, उसके निर्माण में वन भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया को पूरा नहीं किया गया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देशित किया है कि इस तरह के सभी प्रकरणों में अनिवार्य तौर पर वन भूमि हस्तांतरण (वन संरक्षण अधिनियम-1980) की प्रक्रियाओं को पूरा किया जाए।

इन योजनाओं पर पड़ सकता है प्रभाव : देहरादून। हाईकोर्ट के आदेश से हरिद्वार आलमंदर रोड प्रोजेक्ट, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेलवे लाइन, भराड़ीसैंण (गैरसैंण) में निर्माण कार्य समेत कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं पर प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा कुमाऊं मंडल विकास निगम या लीज पट्टों पर खनन होता है, वहां भी खनन बंद हो सकता है। केवल आरक्षित वन भूमि क्षेत्र जहां पर खनन करने की अनुमति प्राप्त है, वहां पर खनन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।

4808
1-36
14/12/17

No. 1541/ 1-36 दिनांक 08/12/17

(1) PCCF (WL)

(2) CCF (G), (K). (Shivalik)

(3) APCCF (FC)/ Nodal Officer

सूचनार्थ एवं आ० का० हेतु प्रेषित.

08.12.2017
PCCF (Adm)

14/12/17